न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 823/2019

1. सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी 25 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

1. नसीब कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जगरूपसिंह पुत्र श्री प्रीत सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. गुरदीप सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. जगसीर सिंह पुत्र श्री प्रीतसिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. हरमीत सिह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. हरजीत कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. निर्मल कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. जसवीर कौर पत्नी श्री दिलबाग सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री दिलबाग सिंह जाति जट सिख निवासी 1 बी बी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा – – प्रार्थीया
2. श्री प्रदीप सिहाग – – अप्रार्थी सं. 1 ता 4, 6
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी सं. 7

अप्रार्थी संख्या 5, 8 ता 12 के विरूद्ध दिनांक 02.01.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–23 सितम्बर, 2019

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि वाके चक 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 37/32 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2066–2069) मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 3 से 7, 14 से 24 व 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.783 है0 कृषि भूमि प्रार्थीया सुरेन्द्र कौर के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि के अलावा इसी चक 1 बी बी के खाता संख्या 10/8 के मुरब्बा नम्बर 68, 72 व 76 की संयुक्त खाता की कुल 8.261 हैक. भूमि में से 0.632 हैक. कृषि भूमि प्रार्थीया सुरेन्द्र कौर व प्रार्थीया के पुत्र विक्रमजीत सिंह के नाम से दर्ज कागजात है। इसी चक 1 बी बी के खाता संख्या 49/49 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 67 की कुल 10.031 हैक. भूमि में से 9.778 हैक. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नमा से 0.253 हैक. भूमि प्रार्थीया सुरेन्द्र कौर के नाम से दर्ज कागजात माल है। प्रार्थी के उक्त रकबा चक 1 बी बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 37/32 मुरब्बा नम्बर 67 के किला नं. 3 से 7, 14 से 17, 24 व 25 (प्रत्येक 0.253 हैक.) कुल 2.783 हैक. कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण का पानी उठाने का यंत्र (झट्टा) मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 8 में लगा हुआ है, अप्रार्थीगण भी मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 22 में से होकर अपने झट्टा पर पहुंचते हैं, अप्रार्थीगण किला नम्बर 22 की किला लाइन से किला नम्बर 19, 12 व 9 से होकर अपने झट्टा पर पहुंचते है व प्रार्थीया किला नम्बर 22 से किला नम्बर 23 में से होकर अपने रकबा किला नम्बर 24 में प्रवेश करती है। उक्त मुरब्बा नम्बर 67 का लि नम्बर 22 व 23 का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 व प्रार्थीया का संयुक्त खाता का रकबा का खातेदारी रकबा होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीया को उसके रकबा में आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं इस कारण प्रार्थीया को आपने खते में जाकर कृषि कार्य करने में भारी परेशानी का सामना करता पड़ता है। इसलिए प्रार्थीया उक्त चक 1 बी बी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 67 के लि नम्बर 22 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 हैक. व किला नम्बर 23 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 हैक. व किला नमबर 23 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 है. कुल 0.050 हैक. रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत करवाना

चाहती है। जिसके लिए न्यायालय निर्धारित मुआवजा अदा लिए तैयार है, चूंकि उक्त संयुक्त खाता में रकबा में प्रार्थीया का भी 0.253 हैक. हिस्सा है, यदि रास्ता की एवज़ में प्रार्थीया के रकबा में से 0.050 हैक. रकबा की कटौती की जावे तो भी प्रार्थीया को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया के रकबा में आने जाने के लिए यही सबसे निकटतम एवं लघुतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया मगर पहले तो वह टाल–मटोल करते रहे, फिर उन्होंने सहमति से रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया यही प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक प्राप्त हुआ है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया को उसके आने जाने के लिए चक 1 बी बी तह. व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 67 किला नम्बर 22 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 हैक. व किला नम्बर 23 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 हक. कुल 0.050 हैक. रकबा बतौर राता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6 की ओर से दिनांक 1.02.2019 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके कथनानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीया के नाम कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है। प्रार्थीया के परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर होना तथा प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि स्वयं काश्त करना स्वीकार नहीं है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 3 ता 7, 14 ता 17 ,24 व 25 की कुल 2.783 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीया आज तक मुरब्बा न. 72 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में ये आववगमन करती रही है तथा उक्त किला विशेष ही प्रार्थीया की कृषि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में अधिक उपयुक्त एंव सुविधाजनक है। मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का पति मुखतार सिंह पुत्र जरनैल सिंह के नाम से दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु कोई असुविधा नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र उत्तरदातागण को तंग, परेशान करने हेतु तथा व्यक्तिगत रंजिशवश प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया उत्तरदातागण की कृषि भूमि में से यानि मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 22 व 23 को कभी रास्ते के रूप में उपयोग नहीं किया है। प्रार्थीया द्वारा जानबुझकर सही तथ्य छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र उत्तरदातागण की कृषि भूमि में से रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है। अगर प्रार्थीया अपनी कृषि में आने जाने हेतु मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से रास्ता मंजूर करवाती है तो उसे केवल किला नम्बर 5 के काशतकार को मुआवजा प्रदान करना पड़ेगा। चूंकि मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 प्रार्थीया के परिवाजन यानि प्रार्थीया के पति की कृषि भूमि है, जो इसके साथ निवास करता है। प्रार्थीया द्वारा कभी भी उत्तरदातागण की कृषि भूमि को रास्ते के रूप मे उपयोग नहीं किया है। मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 प्रार्थीया की कृषि भूमि में आने जाने हेतु अधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक निकटतम रास्ता है। प्रार्थीया कभी भी उत्तरदातागण से

दिनांक 02.06.2018 को नहीं मिली, न ही कभी उत्तरदातागण द्वारा प्रार्थीया को धमकी दी गई। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीया द्वारा दिनांक 16.07.2.019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थीया 25 एमएल आबादी भूमि में निवास करती है, जहां से प्रार्थीया बी बी नहर के साथ साथ बनी पक्की सड़क से आकर चक 1 बी बी के मुरब्बा नम्बर 72 में से अपने स्वयं की कब्जा काश्त की व अपने पुत्र विक्रमजीत सिंह की भूमि किला नम्बर 11, 10, 1 में से व खाता संख्या 37/32 के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 21, 22 व 23 में से होकर अपने रकबा मुरब्बा नमबर 67 के किला नम्बर 24 में प्रवेश करती है तथा अपने रकबा में कृषि कार्य करती है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ता का, किसी स्वीकृत रास्ता से मिलान नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में संशोधन करवा कर चक 1 बी बी के मुरब्बा नम्बर 72 में से अपने स्वयं की व अपने पुत्र विक्रमजीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि किला नम्बर 11, 10, 1 में से व खाता संख्या 37/32 के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 21, 22, 23 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। जिसमें प्रार्थीया का पुत्र विक्रमजीत सिंह सहमत है तथा उसकी सहमति का शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है किया गया कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में संधोशन करके प्रार्थया को उसके रकबा में आने जाने के लिए चक 1 बी बी के मुरब्बा नम्बर 72 में से अपने स्वयं की व अपने पुत्र विक्रमजीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि किला नम्बर 11, 10 1 में से व खाता संख्या 37/32 के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 21, 22, व 23 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से जरिए कमांक 1784 दिनांक 17.07.2018 के रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ता का किसी स्वीकृत रास्ता से मिलान नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में संशोधन करवा कर चक 1 बी बी के मुरब्बा नम्बर 72 में से अपने स्वयं की व अपने पुत्र विक्रमजीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि किला नम्बर 11, 10, 1 में से खाता संख्या 37/32 के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 21, 22 व 23 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। जिसमें से प्रार्थीया का पुत्र विक्रमजीतसिंह सहमत है तथा उसकी सहमति का शपथ पत्र संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में संशोधन करके प्रार्थीया को उसके रकबा में आने जाने के लिए चक 1 बी बी के मुरब्बा नम्बर 72 में से अपने स्वयं की व अपने पुत्र विक्रमजीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि किला नम्बर 11, 10, 1 में से व खाता संख्या 37/32 के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 21, 22 व 23 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बहस प्रार्थना पत्र 251 (क) राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा नजदीक अन्य कोई स्वीकृत व सुविधाजनक रास्ता नहीं है। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये योग्य पाये जाने पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 1 बी बी के मुरब्बा नम्बर 72 में से किला नम्बर 11, 10, 1 में (प्रार्थीया एवं उसके पुत्र विक्रमजीत की सहमति) से व खाता संख्या 37/32 के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 21, 22, व 23 (अप्रार्थीगण की भूमि में) में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है अतः रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर